



SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
V Floor, East Wing, Khanija Bhavan, 49, Race Course Road,
Bangalore - 01, Ph: 080-67171505/04/19
Fax: 080-22207179. Website: www.sidbi.in

कब्जा नोटिस

(अचल संपत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम-8(1) देखें

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54वाँ अधिनियम) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के अंतर्गत स्थापित एक निगम है और जिसका प्रधान कार्यालय सिडबी टावर', 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001 और जिसका एक शाखा कार्यालय 5वीं मंजिल, खनिज भवन, पूर्वी खंड, सं.49, रेस कोर्स रोड, बेंगलूरु - 560 001, कर्नाटक में है, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और उक्त अधिनियम की धारा 13(12), प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 जनवरी, 2015 को माँग नोटिस जारी कर उधारकर्ता मे. अमोघ क्यूएर एण्ड केअर प्रा.लि. और बंधकदाता डॉ. अमित कुमार केशरी और श्रीमती सुनिता लोबो से उक्त नोटिस में यथा 31 दिसंबर, 2014 देय उल्लिखित राशि रु.4,35,86,517/- (चार करोड़ पैंतीस लाख छियासी हजार पाँच सौ सत्रह रूपए मात्र) और उस पर 01 जनवरी, 2015 से देय ब्याज की चुकोती, उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर, करने का आग्रह किया था।

उधारकर्ता उक्त राशि की पूर्ण रूप से चुकोती करने में असफल रहे, अतः एतद्वारा उधारकर्ता को और सामान्य जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4), जिसे इन नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च, 2015 को नीचे उल्लिखित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेषतः उधारकर्ता को तथा सामान्यतः जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति के संबंध में कोई सौदा न करें और उक्त संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को देय रु.4,35,86,517/- और उस पर देय ब्याज की राशि विषयक प्रभार के अधधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

डॉ. अमित कुमार केशरी और श्रीमती सुनिता लोबो के स्वामित्ववाली बंधक रखी गई कुल 1200 वर्ग फीट माप की (पूर्व - पश्चिम 40 फुट व उत्तर - दक्षिण 30 फुट) समस्त भूमि और भूमिखंड जो डोड्डानेकुण्डी ग्राम (बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के पास), के.आर.पुरम, होबली, बेंगलूरु ईस्ट तालुक पूर्ववर्ती बेंगलूरु साउथ तालुक जो कि पहले महादेवपुरा सीएमसी लिमिटेड में था और अब बेंगलूरु महानगर पालिके सीमांतर्गत है, में अवस्थित है और जिसकी चौहदियां निम्नवत हैं -

पूर्व : गृह स्थल सं.72 उत्तर : रास्ता
पश्चिम : गृह स्थल सं.74 दक्षिण : गृह स्थल सं.78

दिनांक : 27/03/2015

प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)